रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/2016/पौष 5, 1938
No. 883] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/ PAUSA 5, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 2016

सा.का.नि. 1171(अ).—केंद्रीय सरकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पासपोर्ट नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में (जिनका यहाँ से आगे उक्त नियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा), सारणी III में:-

(i) "(क) पासपोर्ट" के अंतर्गत उप-शीर्षक "गोद लिए गए बच्चों के लिए" और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"गोद लिए गए बच्चों के लिए:

देश के भीतर (घरेलू रूप से) गोद लिए गए बच्चों के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

गोद लेने वाले अभिभावक(कों) द्वारा आवेदक को जैविक अभिभावक(कों) से गोद लिए जाने की पुष्टि/विवरण वाला गोदनामा जो नोटरीकृत या पंजीकृत हो सकता है। यदि आवेदक के पास गोद लिए जाने की पुष्टि के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ न हो और स्थिति ऐसी हो कि जैविक/गोद लेने वाले अभिभावकों की मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से ऐसे दस्तावेज़ को अब तैयार नहीं किया जा सकता हो, जो भी हो, आवेदक एक सादे कागज पर गोद लिए जाने की पुष्टि संबंधी उद्घोषणा दे सकता है ।

(ii) "(ख) नाम में परिवर्तन" और इससे संबंधित प्रविष्टियों के अंतर्गत निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ख) पुनः जारीकरण के आधार पर पासपोर्ट में नाम में परिवर्तन/पति अथवा पत्नी का नाम जोड़ा जाना

(I) विवाह, पुनर्विवाह अथवा तलाक के बाद:

(क) अपने/अपनी पति/पत्नी का नाम अपने पासपोर्ट में दर्ज कराने के लिए पासपोर्ट पुनः जारीकरण हेतु आवेदन करने वाला आवेदक ;

(ख) विवाह के कारण वर्तमान पासपोर्ट में नाम/कुलनाम परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाली महिला;

(ग) वर्तमान पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम परिवर्तन अथवा पति/पत्नी का नाम हटाने के लिए आवेदन करने वाले तलाक़शुदा व्यक्ति;

(घ) पासपोर्ट में अपने नाम/पति अथवा पत्नी के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन करने वाले पुनर्विवाहित आवेदक;

आवेदक (उपर्लिखित वर्गों में से कोई भी) द्वारा आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अतिरिक्त विवाह / विवाह विच्छेद का कोई प्रमाण (न्यायिक रूप से अलग हो जाने का न्यायालय आदेश/तलाक आदेश) आदि की आवश्यकता नहीं है ।

(II) नाम में परिवर्तन की अन्य परिस्थितियों में आवेदक (पुरुष और महिला दोनों) को प्रस्तुत करना होगा:

(i) दो क्षेत्रीय अखबारों की कतरन या संबंधित राज्य के राजपत्र की अधिसूचना, जो भी हो;

(ii) इच्छित/आवेदित नाम में जारी कम से कम दो सार्वजनिक/विद्यालयी दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक ने वास्तव में नाम परिवर्तित कर लिया है ।

3. उक्त नियमों की अनुसूची III के अनुच्छेद V में अनुबंधों 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ङ', 'च', 'छ', 'ज', 'झ', 'ञ', 'ट', 'ठ', और 'ड', और इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित अनुबंध और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित होंगी, अर्थात:-

<u>अनुबंध (क)</u>

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों के सभी कर्मचारियों, उनके पति/पत्नी और 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है (लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें)

(कार्यालय के पत्र शीर्ष पर दो प्रतियों में दिया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री, जो कि भारतीय नागरिक है और का दिनांक से स्थायी/अस्थायी कर्मचारी है और वर्तमान में के पद पर कार्यरत है । श्री/श्रीमती/सुश्री भी भारतीय नागरिक है और श्री/श्रीमती का आश्रित पारिवारिक सदस्य है और उसकी पहचान को प्रमाणित किया जाता है । इस मंत्रालय/विभाग/संस्थान को इनके भारतीय पासपोर्ट को हासिल करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है । मैं, अधोहस्ताक्षरी इस पहचान प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए यथोचित रूप से अधिकृत हूँ । मैंने पारपत्र अधिनियम, 1967 के भाग 6 (2) के प्रावधानों को पढ लिया है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक के मामले में इन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है । मैं इन्हें भारतीय पासपोर्ट प्रदान किये जाने की अनुशंसा करता/करती हूँ । प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/वैधानिक निकाय है । श्री/श्रीमती/सुश्री (कर्मचारी) की परिचय पत्र संख्या है ।

संदर्भ संख्या व

तिथि

नाम, पदनाम, पता और

दूरभाष संख्या

आवेदक का छायाचित्र
प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा
सत्यापित होना चाहिए

indiacode

अनुबंध (ख)

सत्यापन प्रमाण पत्र का नमूना (केवल तत्काल श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के लिए) (सत्यापनकर्ता प्राधिकारी के आधिकारिक पत्र शीर्ष पर)

संदर्भ संख्या आवेदक का छायाचित्र

सत्यापन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री जिनका व्यक्तिगत विवरण नीचे दिया गया है अच्छे नैतिक चरित्र एवं छवि वाले/वाली प्रतिष्ठित नागरिक हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुच्छेद 6 (2) के प्रावधानों के अध्ययन के बाद मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक के मामले में इन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है और मैं इन्हें भारतीय पासपोर्ट प्रदान किए जाने की अनुशंसा करता हूँ। आवेदक अपने दिये हुए पते पर पिछले एक वर्ष से निवासरत है।

जन्मतिथि

जन्म स्थान

शैक्षणिक योग्यता

पेशा (सरकारी/निजी सेवा/अन्य)

स्थायी पता

वर्तमान पता

स्थान

कार्यालय का पता अवस्थिति सहित

तिथि

हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर

पूरा नाम

पदनाम

पहचान पत्र संख्या.....

(पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

दूरभाष संख्या(का).....

(नि)

मोबाईल नं॰

फैक्स नं॰

ई मेल आई डी

IndiaCode

नोट :

1. आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक छायाचित्र भी सत्यापन प्रमाण पत्र पर चिपकाया जाना चाहिए और इसे जारीकर्ता अधिकारी द्वारा इस प्रकार सत्यापित किया जाना चाहिए कि आधे हस्ताक्षर और मुहर छायाचित्र पर हों और आधे प्रमाण पत्र पर ।

2. यदि आवेदक पिछले एक वर्ष में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहा है तो पिछले सभी निवास स्थानों के पते संबंधित तारीखों सहित दर्ज किये जाने चाहिए ।

3. इस सत्यापन प्रमाण पत्र को निम्नलिखित में से किसी एक से सत्यापित कराया जा सकता है :

(i) भारत सरकार के अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव/कैबिनेट सचिव ।

(ii) राज्य सरकार के निदेशक/ संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/मुख्य सचिव ।

(iii) उप प्रभागीय दण्डाधिकारी/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर जिला दण्डाधिकारी/ आवेदक के निवास के जिले का जिला मजिस्ट्रेट ।

(iv) आवेदक के निवास वाले क्षेत्र का जिला पुलिस अधीक्षक, डी॰आई॰जी॰ /आई॰जी॰/ डी॰जी॰पी॰।

(v) थल सेना में मेजर या उच्च पद का अधिकारी, नौ सेना का लेफ्टिनेंट कमांडर या उच्च पद का अधिकारी, वायु सेना का सकवाड्रन लीडर या उच्च पद का अधिकारी ।

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक या उच्च पद के अधिकारी ।

(vii) किसी अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा के वे अधिकारी जो अवर सचिव के रैंक के समकक्ष या उच्च पद पर हैं अर्थात 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11 अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी ।

(viii) सभी राज्य सरकारों के दिल्ली आधारित स्थानिक आयुक्त/अपर स्थानिक आयुक्त ।

(ix) आवेदकों के निवास क्षेत्र के तहसीलदार या संबंधित एस॰एच॰ओ॰ ।

4. जो कोई भी गलत सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करता है उस पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(2) के अधीन अभियोग चलाया जा सकता है ।

5. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2):-

"इस अधिनियम की अन्य धाराओं के अधीन पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरण उपबंध (सी) के उप खण्ड 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों के चलते किसी विदेशी राष्ट्र की यात्रा करने हेतु पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने से मना कर सकता है" अर्थात :-

(क) कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है ।

(ख) कि आवेदक भारत के बाहर उन गतिविधियों में शामिल है या होने वाला है जिनसे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा है ।

(ग) कि आवेदक के भारत से बाहर जाने पर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुँच सकता है या देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी ।

(घ) कि आवेदक की देश से बाहर उपस्थिति किसी विदेशी राष्ट्र से भारत के मित्रता पूर्ण संबंधों को प्रभावित कर सकती है ।

(ङ) कि आवेदक को आवेदन जमा करने से ठीक 5 वर्ष पूर्व तक की अवधि में किसी भी समय किसी भारतीय अदालत द्वारा नैतिक भ्रष्टता के लिए दोषी पाया गया हो और इस मामले में आवेदक को दो वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई ।

(च) कि आवेदक के विरुद्ध कथित रूप से किसी किए गए अपराध के संबंध में अदालती कार्रवाई लंबित है ।

(छ) कि आवेदक को किसी अदालत द्वारा अपने सम्मुख पेश होने के लिए कोई वारंट अथवा सम्मन जारी किया गया हो, या किसी अदालत द्वारा किसी प्रचलित कानून के तहत आवेदक के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया हो या किसी अदालत ने अपने ऐसे आदेश द्वारा आवेदक के देश छोड़ने पर रोक लगाई हो ।

(ज) कि आवेदक को प्रत्यवर्तित किया गया था और आवेदक द्वारा प्रत्यवर्तन लागत का भुगतान नहीं किया है ।

(झ) कि केंद्र सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी किया जाना सार्वजानिक हित में न हो ।

अथवा

नमूना सत्यापन प्रमाण पत्र (शीर्ष व्यापारिक संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा चैंबर की सदस्यता प्राप्त कंपनियों के मालिकों, साझेदारों और निदेशकों को जारी किये जाने हेतु)

(सत्यापन प्राधिकारी के आधिकारिक पत्र शीर्ष पर)

संदर्भ संख्या :

आवेदक का छायाचित्र

(सत्यापन प्रमाणपत्र जारीकर्ता अधिकारी को आवेदक के छायाचित्र को इस प्रकार सत्यापित करना चाहिए कि हस्ताक्षर और मुहर आधे छायाचित्र पर आ जाएं और आधे प्रमाण पत्र पर)

सत्यापन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री जिनका व्यक्तिगत विवरण आगे दिया गया है अच्छे नैतिक चरित्र वाला/वाली प्रतिष्ठित नागरिक हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के भाग 6 (2) की धाराओं के अध्ययन के बाद मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक के मामले में इन धाराओं का उल्लंघन नहीं होता है और मैं इन्हें भारतीय पासपोर्ट प्रदान किए जाने की अनुशंसा करता हूँ। आवेदक अपने दिये हुए पते पर पिछले एक वर्ष से लगातार निवासरत है।

जन्मतिथि

जन्म स्थान

शैक्षणिक योग्यता

पेशा

स्थायी पता

वर्तमान पता

स्थान

कार्यालय का पता अवस्थिति सहित

तिथि

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम.....

कार्यालय की मुहर

चैंबर का नाम .

IndiaCode

दूरभाष:

(का).....

(नि).....

मोबाइल.....

फैक्स.....

ई.मेल आई.डी.....

नोट :

1. आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक छायाचित्र भी सत्यापन प्रमाणपत्र पर चिपकाना होगा और सत्यापन प्रमाणपत्र जारीकर्ता अधिकारी को आवेदक के छायाचित्र को इस प्रकार सत्यापित करना चाहिए कि हस्ताक्षर और मुहर आधे छायाचित्र पर आ जाएं और आधे प्रमाणपत्र पर।

2. यदि आवेदक पिछले एक वर्ष में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहा है तो पिछले सभी निवास स्थानों के पते संबंधित तारीखों सहित दर्ज किये जाने चाहिए।

3. जो कोई भी गलत सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करता है उस पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (2) के अधीन अभियोग चलाया जा सकता है।

अनुबंध (ग)

एक अवयस्क के पासपोर्ट आवेदन के साथ अभिभावक या संरक्षक द्वारा जमा किये जाने वाली नमूना उद्घोषणा जब एक अभिभावक ने अपनी सहमति न दी हो

(सादे कागज पर)

मैं/हम (पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले अभिभावक/संरक्षक का नाम) निवासी निष्ठापूर्वक निम्नलिखित घोषणा करते हैं :-

(I) कि मैं/हम (अवयस्क का नाम) की/का/के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक हूँ जो कि अभी अवयस्क है और उसके पासपोर्ट के लिए उसके स्थान पर मैंने/हमने आवेदन किया है।

(II) श्री/श्रीमती (पिता/माता का नाम) जो कि बच्चे के/की/के पिता/माता/अभिभावक हैं के/की हस्ताक्षर/सहमति मेरे द्वारा निम्नलिखित कारण/कारणों से नहीं ली गई है:-

(क) अवयस्क आवेदक के/की पिता/माता विदेश यात्रा पर हैं/समुंद्री यात्रा पर हैं/भारत में यात्रा पर हैं और सहमति दर्ज करा पाने में असमर्थ हैं; अथवा/और

(ख) माता/पिता अलग हो चुके हैं और तलाक/वैवाहिक झगड़े/बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है; अथवा/और

(ग) माता/पिता विरक्त हो चुके हैं और वह/वे कहाँ है/हैं इसकी जानकारी नहीं है; अथवा/और

(घ) तलाक/अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में वाद चल रहा है और न्यायालय ने माता/पिता की अनुमति के बगैर पासपोर्ट जारी किए जाने की मनाही संबंधी कोई आदेश नहीं दिया है; अथवा/और

(ङ) अभिभावक, जो पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है, के पास अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा का न्यायालय आदेश है और दूसरा अभिभावक (जिसके पास बच्चे से मिलने का अधिकार है) उपलब्ध नहीं है अथवा वह सहमति देने से मना कर रहा/रही है/ दूसरा अभिभावक मिलने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा/रही है और वह कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है; अथवा/और

(च) अभिभावक कानूनी रूप से अलग हो चुकें हैं और न्यायालय के आदेश में अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा परिभाषित नहीं की गई है; अथवा/और

(छ) (अवयस्क बच्चे का नाम) के/की पिता/माता ने मुझे गर्भ/जन्म के पश्चात त्याग दिया है. कि (अवयस्क बच्चे का नाम) गर्भ/जन्म के बाद से ही सिर्फ मेरी देखभाल और अभिरक्षा में है।

(III) कि केवल मैं/हम (अवयस्क का नाम) की देख-रेख कर रहा/रही/रहें हूँ/हैं और वह मेरी भौतिक अभिरक्षा मैं है।

(IV) मैं/हम यह भी मानता/मानती/मानते हूँ/हैं कि अवयस्क (अवयस्क का नाम) को पासपोर्ट जारी किये जाने के कारण किसी अदालती केस की अवस्था में केस लड़ने के लिए हम जिम्मेदार होंगे न कि पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरण ।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले
अभिभावक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

नाम :

आधार कार्ड संख्या : या

मतदाता पहचान पत्र संख्या : या

पासपोर्ट संख्या :

अनुबंध (घ)

अवयस्क के पासपोर्ट के लिए उसके अभिभावक/संरक्षक के द्वारा दिये जाने वाली नमूना उद्घोषणा

(सादे कागज पर)

मैं/हम..... निवासीएततद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं/करती हूँ कि नीचे दिया गया विवरण (बच्चे का नाम) पुत्र/पुत्री श्री और श्रीमती के है जिसका/जिसके मैं/हम अभिभावक/संरक्षक हूँ/हैं :-

अवयस्क बच्चे का विवरण

नाम :

जन्मतिथि :

जन्मस्थान :

2. ऊपर वर्णित अवयस्क बच्चा भारत का नागरिक है ।

3. मैं/हम उसके सभी प्रकार के खर्चों की ज़िम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

4. मैं/हम निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसने भारत की नागरिकता न खोयी है न त्यागी है और न इसे नागरिकता से वंचित ही किया गया है और इसके संबंध में आवेदन में जो भी जानकारी दी गई हैं वे सभी सही हैं ।

5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम वैध भारतीय पासपोर्ट धारण करता हूँ/करते हैं/करती हूँ, नहीं करता हूँ/नहीं करते हैं/नहीं करती हूँ ।

स्थान :

तिथि :

पिता के हस्ताक्षर	माता के हस्ताक्षर	कानूनी संरक्षक के हस्ताक्षर
पासपोर्ट संख्या या	पासपोर्ट संख्या या	पासपोर्ट संख्या..... या
आधार कार्ड सं। या	आधार कार्ड सं या	आधार कार्ड सं..... या
मतदाता पहचान पत्र सं	मतदाता पहचान पत्र सं	मतदाता पहचान पत्र सं ...

IndiaCode

अनुबंध (ङ)

आवेदक द्वारा सादे कागज पर की जाने वाली नमूना घोषणा

मैं, (नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी जन्म तिथि पासपोर्ट जारी कराने के लिए आवेदक के तौर पर एततद्वारा निष्ठापूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ :-

1. कि मेरे अभिभावकों और पति/पत्नी का नाम निम्न प्रकार है :

(i) पिता :

(ii) माता :

(iii) पति/पत्नी :

2. कि मैं ऊपर दिये गए पते पर से लगातार निवासरत हूँ।

3. कि मैं जन्म से/वंशानुगत रूप से/पंजीकरण से/देशीकरण से भारत का/की नागरिक हूँ और मैंने न तो कभी किस अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की है और न ही मैंने कभी भी भारत की नागरिकता का त्याग किया है और न ही मुझे कभी भी भारत की मेरी नागरिकता से बर्खास्त/वंचित किया गया है।

4. कि मुझे इस शपथ पत्र की तिथि से 5 वर्ष पूर्व तक की अवधि में कभी भी किसी भारतीय अदालत द्वारा नैतिक भ्रष्टता के लिए न तो अभियुक्त बनाया गया और न किसी मामले में मुझे दो वर्ष या अधिक तक की सजा दी गई।

5. कि किसी आपराधिक मामले में किसी भी अदालत में मेरे विरुद्ध कोई अदालती कार्रवाई लंबित नहीं है।

6. कि मुझे किसी अदालत द्वारा उसके सम्मुख पेश होने के लिए कोई वारंट अथवा समन जारी नहीं किया गया है और किसी अदालत द्वारा मेरी गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी नहीं किया गया है और किसी अदालत ने अपने आदेश द्वारा मेरे देश छोड़ने पर पाबंदी नहीं लगाई है।

7. कि मुझे कभी भी सरकारी खर्च पर विदेश से भारत प्रत्यवर्तित नहीं किया गया है/मुझे सरकारी खर्च पर वापस भारत प्रत्यवर्तित किया गया था परंतु इस प्रत्यर्पण के संबंध में आई लागत का मैं भारत सरकार को भुगतान कर चुका हूँ।

8. कि मैं ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहूँगा जिनसे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा हो।

9. कि मेरे भारत से बाहर जाने पर देश की सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होगा या देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी।

10. कि मेरी भारत से बाहर उपस्थिति किसी विदेशी राष्ट्र से भारत के मित्रता पूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।

स्थान:

तिथि:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुबंध (च)

खोए/नष्ट पासपोर्ट के स्थान पर पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा की जाने वाली नमूना घोषणा

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी..... निष्ठापूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ:

1. दर्शाइए कि कब और कैसे पासपोर्ट खोया/नष्ट हुआ और कब किस पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और इससे पूर्व आपके कितने पासपोर्ट खो चुके/नष्ट हो चुके हैं?
2. दर्शाइए कि क्या आप ने खोए/नष्ट पासपोर्ट पर यात्रा की थी यदि हाँ तो उड़ान संख्या और तिथि एवं भारत में प्रवेश का स्थान बताएं?
3. दर्शाइए कि क्या आप ने टी.आर. छूट/एफ.टी. भत्तों का लाभ लिया यदि हाँ तो इसकी जानकारी दें?
4. दर्शाइए कि क्या आप अनिवासी भारतीय हैं और अगर विदेश में निवासरत हैं तो निवास की निम्न जानकारी दें:

क्र.सं.	देश का नाम	निवास की अवधि से तक	पासपोर्ट की पृष्ठ संख्यायें जिन पर आगमन एवं प्रस्थान की मुहर लगी हो
1.			
2.			
3.			

5. दर्शाइए कि क्या पासपोर्ट पर पी.आई.ए. की क्या कोई आपत्ति थी यदि हाँ तो, जानकारी दें?

6. दर्शाइए कि क्या आप को कभी सरकारी खर्च पर भारत वापस भेजा गया और यदि ऐसा किया गया है तो क्या आप ने वापस भेजे जाने की लागत का भारत सरकार को भुगतान कर दिया है?

मैं और घोषणा करता हूँ कि यदि मुझे पासपोर्ट जारी किया जाता है तो मैं अपने पासपोर्ट की हर संभव सुरक्षा करूँगा और यदि लापरवाही की पुनरावृति होती है तो भारत सरकार पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

दिनांक

(आवेदक के हस्ताक्षर)

IndiaCode

अनुबंध (छ)

मंत्रालय/विभाग/ का कार्यालय

संख्या..... दिनांक

आवेदक का छायाचित्र

(अनापत्ति प्रमाणपत्र जारीकर्ता अधिकारी को आवेदक के छायाचित्र पर मुहर और हस्ताक्षर इस प्रकार किए जाने चाहिए कि हस्ताक्षर और मुहर आधे छायाचित्र पर आ जाएं और आधे प्रमाणपत्र पर ।)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी....., जो कि एक भारतीय नागरिक है, इस कार्यालय में के तौर परसे आज की तिथि तक कार्यरत है। इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इनके पासपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है ।

(नियंत्रणकर्ता/प्रशासनिक प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

दूरभाष/फैक्स/ई.मेल

नोट:

(क) एन.ओ.सी. जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर नाम और मुहर सहित करने चाहिए और पासपोर्ट प्राधिकरण को जांच हेतु संपर्क विवरण अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए।

(ख) एन.ओ.सी. जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक की अवधि के लिए मान्य होगी ।

अनुबंध (ज)

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संवैधानिक निकायों के कर्मचारी द्वारा अपने पासपोर्ट के आवेदन को जमा करने के लिए अपने प्रशासनिक कार्यालय को दी जाने वाली पूर्व सूचना (पी.आई.) (सादे कागज पर)

स्थान:.....

तिथि:.....

(पूरे पते सहित नियंत्रणकर्ता/प्रशासनिक अधिकारी को पूरे पते सहित संबोधित हो)

.....

.....

..... पिन:.....

दूरभाष.....

फैक्स

ई.मेल.....

विषय: पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए पूर्व सूचना:

महोदय/महोदया,

एततद्वारा मैं पूर्व सूचना देता/देती हूँ कि मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,..... में सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

2. आपके सूचनार्थ एवं अभिलेख के लिए।

भवदीय,

हस्ताक्षर:.....

नाम:.....

जन्मतिथि:.....

पद:.....

उस कार्यालय का नाम जहाँ कार्यरत हैं:.....

.....

संगठन का नाम:.....

.....

वर्तमान कार्यालय का पता:.....

.....

निवास स्थान का पता:.....

.....

IndiaCode

अनुबंध (झ)

आवेदक के जैविक अभिभावक(कों) द्वारा सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे के पासपोर्ट के लिए की जाने वाली घोषणा

(सादे कागज पर)

मैं/हम (अवयस्क बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जैविक अभिभावक(कों) का नाम), निष्ठापूर्वक निम्न घोषणा करते हैं:

1. कि मैं/हम (अवयस्क बच्चे का नाम) के जैविक माता/पिता/अभिभावक हूँ/हैं जिसका जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है, और जो अवयस्क है और जिसके स्थान पर मैंने/हमने उसके पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है।

2. कि केवल मैं/हम (अवयस्क बच्चे का नाम) का संरक्षण कर रहा/रही/रहें हूँ/हैं और वह अपने जन्म से मेरी/हमारी भौतिक अभिरक्षा में है।

3. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि (अवयस्क बच्चे का नाम), जिसका जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है, को पासपोर्ट जारी किए जाने के कारण उत्पन्न किसी वाद (दीवानी/फौजदारी) के कारण किसी अदालती केस की अवस्था में केस लड़ने के लिए हम जिम्मेदार होंगे न कि पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरण।

तिथि:

स्थान:

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले
अभिभावक(कों)/संरक्षक(कों) का पता एवं हस्ताक्षर

IndiaCode

[फा. सं. VI/401/1/17/2015]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं

मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

पाद टिप्पणी:

पासपोर्ट नियमों, 1980 का प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप- खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(ङ) द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 1980 को हुआ था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(ङ) द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

G.S.R.1171 (E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:-

(1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1980 (herein after referred to as the said rules), in Schedule III:-

(i) Under "(A) Passports", for the sub-heading "For Adopted Children" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"**For Adopted Children:**

In case of In-country (domestically) adopted children the following documents are required to be furnished:

The deed of adoption which may either be Notarized or Registered, confirming/detailing the adoption of applicant by the adoptive parents(s) from the biological parent(s). In case, the applicant is not having any kind of deed to confirm the adoption and the situation is so that the same also cannot be executed at this point of time due to death of biological/adoptive parents or any other reason, whatsoever it may be, the applicant may give a declaration on a plain paper confirming the adoption**."**

(ii) under "(B) CHANGE OF NAME" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(B) CHANGE OF NAME/ADDITION OF SPOUSE's NAME IN PASSPORT ON RE-ISSUE BASIS

(I) Following marriage, remarriage or divorce:

(a) An applicant applying for re-issue of passport for incorporation of the name of his/her spouse;

(b) A woman applying for change of name/surname in existing passport due to marriage;

(c) Divorcees applying for change of name OR for deletion of spouse's name in existing passport;

(d) Re-married applicants applying for change of name/spouse's name in passport.

Except the details provided by the applicant (of any category mentioned above) in the application form, no proof of marriage/dissolution of marriage (court's order for judicial separation/decree of divorce) etc. is required."

(II) In other circumstances for change of name, the applicant (both male and female) should furnish:

(i) clippings of two local news papers or the Gazette notification of the concerned State Government, as the case may be;

(ii) at least two public/school documents issued in the desired/ applied changed name to ascertain that the applicant has actually changed his name.

IndiaCode

3. In the said rules, in Schedule III, in Section V, for Annexures 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L' and 'M', and the entries relating thereto, the following Annexures and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

ANNEXURE 'A'

ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, STATE GOVERNMENT EMPLOYEES, EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS, THEIR SPOUSE AND CHILDREN UPTO THE AGE OF 18 YEARS ARE REQUIRED TO PRODUCE AN IDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT OPTIONS THAT ARE NOT APPLICABLE)

(To be given in Duplicate on Original Stationery)

Certified that Shri/Smt/Miss ……. Son/Wife/Daughter of Shri ……, who is an Indian national, is a temporary/permanent employee of (office address) ……. from (date) ……. and is at present holding the post of …….. Shri/Smt/Miss……., who is also an Indian national, is/are a dependent family member(s) of Shri/Smt……. and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has no objection to his/her acquiring Indian Passport. I, the undersigned, am duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is certified that this organization is a Central/State Government/Public Sector undertaking/Statutory body. The Identity Card Number of Shri/Smt/Miss (employee)……is……

Ref No. and

Date ……..

Name, Designation, Address and Tel No.

Applicant's photo to be attested by certifying authority

Annexure- 'B'

SPECIMEN VERIFICATION CERTIFICATE (FOR PASSPORT UNDER TATKAAL ONLY)

(On official letter head of verifying authority)

Reference Number Applicant's Photo

Verification Certificate

This is to certify that Sh./Smt./Kum. …….. son/wife/daughter of ……. whose personal particulars are given below, has good moral character and reputation and that after having read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967, I certify that these provisions are not attracted in case of this applicant and I, recommend issue of an Indian Passport to him/her. Applicant has been staying at his/her address continuously for the last one year.

Date of Birth ……..

Place of Birth ……..

Educational Qualification ……..

Profession (Govt./Private Service/Others) ……..

Permanent Address ……..

Present Address ……..

Place

Office Address with location

Date: Signature ……

Office Seal

Full Name …….

Designation ……

I Card No. ……

(Enclose a photocopy of I Card)

Telephone No.

(O)…… …….

(R)…….

Mobile No……

Fax No…….

E-mail Id……..

IndiaCode

Notes:

1. The applicant's passport size photograph is also required to be affixed on the Verification Certificate and attested by the officer issuing the Verification Certificate with his/her signature and rubber stamp put in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.

2. If the applicant has resided at more than one place during the last one year, then all previous addresses with the relevant dates should be mentioned.

3. This Verification Certificate may be got signed by any of the following:

(i) An Under Secretary/Deputy Secretary/Director/Joint Secretary/Add. Secretary/Special Secretary/ Secretary/ Cabinet Secretary to Government of India.

(ii) A Director/Joint Secretary/Additional Secretary/Special Secretary/Chief Secretary to a State Govt.

(iii) A Sub-Divisional Magistrate/First class Judicial Magistrate/Additional DM/District Magistrate of the district of residence of applicant.

(iv) A District Superintendent of Police, DIG/IG/DGP of the district of residence of applicant.

(v) A Major and above in the Army, Lt. Commander and above in the Navy and Sq. Leader and above in the Air Force.

(vi) The General Manager and above of a Public Sector Undertaking and the Reserve Bank of India.

(vii) All members of any All India Service or Central Service who are equivalent to or above the rank of an Under Secretary to the Government, i.e. drawing their pay in the level 11 and above of the pay matrix recommended by the 7th Central Pay Commission.

(viii) Resident Commissioners/Additional Resident Commissioners of all the State Governments based in Delhi.

(ix) Concerned Tehsildars or concerned SHOs for an applicant staying in the area under his/her jurisdiction.

4. Anyone who issues incorrect verification certificate may be prosecuted under section 12(2) of the Passports Act, 1967.

5. Section 6(2) of the Passports Act, 1967 –

"Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (C) sub-section 5 of any one or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

(a) that the applicant is not a citizen of India.

(b) that the applicant may, or is likely to, engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to, be detrimental to the security of India.

(d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign country.

(e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, been convicted by a court of India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof imprisonment for not less than two years.

(f) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in India.

(g) that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court.

(h) that the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure.

(i) that in the opinion of the Central Government the issue of passport or travel document to the applicant will not be in the public interest.

OR

SPECIMEN VERIFICATION CERTIFICATE (To be given by Chairmen of Apex Business Organizations to the Owners, Partners or Directors of the companies having membership of the concerned chambers) (Official letter head of verifying authority)

Reference Number

Applicants' Photo

(Verification Certificate issuing officer should attest the photograph of the applicant with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.)

Verification Certificate

This is to certify that Sh./Smt./Kum. …….. son/wife/daughter of ……. whose personal particulars are given below has good moral character and reputation and that after having read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967, I certify that these provisions are not attracted in case of this applicant and I

recommend issue of an Indian Passport to him/her. Applicant has been staying at his/her address continuously for the last one year.

Date of Birth ….…….

Place of Birth ….…….

Educational Qualification ….…….

Profession ….…….

Permanent Address ……..

Present Address ……..

Place

Office Address with location

Date:

Signature ……

Full Name ……..

Designation ……

Office Seal

Name of the Chamber …….

Telephone No.

(O)…….

(R)……..…

Mobile No……

Fax No…….

E-mail Id……..

IndiaCode

Notes:

1. The applicant's passport size photograph is also required to be affixed on the Verification Certificate and attested by the officer issuing the Verification Certificate with his/her signature and rubber stamp put in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.
2. If the applicant has resided at more than one place during the last one year then all previous addresses with the relevant dates should be mentioned.
3. Anyone who issues incorrect verification certificate may be prosecuted under section 12(2) of the Passports Act, 1967.

Annexure- 'C'

SPECIMEN DECLARATION BY APPLICANT'S PARENT OR GUARDIAN FOR ISSUE OF PASSPORT TO MINOR WHEN ONE PARENT HAS NOT GIVEN CONSENT

(On plain paper)

I/We **……..** (name of the parent / guardian applying for passport) resident of ……..solemnly declare and affirm as under :-

(I) That I/we am/are the mother/father/parents/guardians of …….(name of the minor child) who is minor and on whose behalf I/we have made an application for his/her passport.

(II) Signature/consent of Shri/Smt…….(name of the father/mother) who is the father/mother/parents of the child has not been obtained by me for the following one or more reasons:-

(a) The father/mother of the minor applicant is travelling abroad/is on sea/travelling in India and unable to file consent; or/and

(b) The father/mother is separated and no court case is pending before the court regarding divorce/marital dispute/custody of the child; or/and

(c) The father/mother has deserted and the whereabouts are not known; or/and

(d) There is an ongoing court case for divorce/custody of the minor child and the court has not given any order prohibiting the issue of passport without the consent of father/mother; or/and

(e) There is a court order for the custody of the minor child with a parent who is applying for the passport and consent of other parent (who has visitation rights) is not available or he/she is refusing to give consent/the other parent is not availing the visitation rights and his/her whereabouts are not known; or/and

(f) The parents are judicially separated and custody of the minor child has not been defined in the court's decree; or/and

(g) The father/mother of……..(name of minor child) has deserted me after the conception/delivery. That……(name of minor child) is exclusively under my care and custody since separation/delivery.

(III) That I/we only am/are taking care of …….(name of the minor child) and he/she is exclusively in my/our physical custody.

(IV) I/we also affirm that in the case of a court case arising due to issue of a passport to the minor child ……..(name of the minor child), I/we would be solely responsible for defending the case and not the Passport Issuing Authority.

IndiaCode

Signature of the parent(s)/

Guardian(s) applying for the Passport

Place:

Date:

Name(s):……..

Aadhaar Card No……..…..; or

Voter ID Card No……; or

Passport no……..

Annexure-'D'

SPECIMEN DECLARATION BY APPLICANT'S PARENT(S) OR GUARDIAN FOR ISSUE OF PASSPORT TO MINOR

(On plain paper)

I/we, ……..... resident of ……hereby affirm that the particulars given below are of ……(name of the child), son/daughter of Shri ……..and Smt ……. of whom I/we am/are the parents /guardian.

Particulars of minor child

Name :

Date of birth :

Place of birth :

2. The minor child mentioned above is a citizen of India.

3. I/We undertake the entire responsibility for his/her expenses.

4. I/we solemnly declare that he /she has not lost, surrendered or been deprived of his/her citizenship of India and that the information given in respect of him/her in this application is true.

5. It is also certified that I/we am/are holding /not holding valid India passport(s).

Place:

Date

Signature of father	Signature of mother	Signature of legal guardian(s)
Passport No.; or	Passport No. ……..; or	Passport no……; or
Aadhaar Card No…....; or	Aadhaar Card No…....;or	Aadhaar Card No…....; or
Voter ID Card No…...…;	Voter ID Card No…...…	Voter ID Card No…...…

Annexure-'E'

SPECIMEN DECLARATION OF THE APPLICANT ON A PLAIN PAPER

I, …… (name), son/ daughter/ wife of Shri …… residing at …….. Date of Birth …… being an applicant for issue of passport, do hereby solemnly affirm and state the following:

1. That the names of my parents and spouse are as follows:

 (i) Father :

 (ii) Mother :

 (iii) Wife/Husband :

2. That I am a continuous resident at the above mentioned address from…….

3. That I am a citizen of India by birth/descent/registration/naturalization and that I have neither acquired the citizenship of another country nor have surrendered or been terminated/ deprived of my citizenship of India.

4. That I have not, at any time during the period of five years immediately preceding the date of this declaration, been convicted by any court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years.

5. That no proceedings in respect of any criminal offence alleged to have been committed by me are pending before any criminal court in India.

6. That no warrant or summons for my appearance, and no warrant for my arrest, has been issued by a court under any law for the time being in force, and that my departure from India has not been prohibited by order of any such court.

7. That I have never been repatriated from abroad back to India at the expense of Government of India/I was repatriated from abroad back to India at the expense of Government of India, but reimbursed expenditure incurred in connection with such repatriation.

8. That I will not engage in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

9. That my departure from India will not be detrimental to the security of India.

10. That my presence outside India will not prejudice the friendly relations of India with any foreign country.

Place:

Date:

(Signature of applicant)

IndiaCode

Annexure-'F'

SPECIMEN DECLARATION OF APPLICANT FOR OBTAINING A PASSPORT IN LIEU OF LOST/ DAMAGED PASSPORT

I……. S/o, D/o, W/o Shri…… residing at ……..solemnly affirm as follows:

1. State how and when the passport was lost/ damaged and when FIR was lodged at which Police Station and how many passports were lost/ damaged earlier?

2. State whether you travelled on the lost/ damaged passport, if so state flight number and date and port of entry into India?

3. State whether you availed of any TR concessions/FTs allowance and if so details thereof?

4. State whether non-resident Indian and if resident abroad, the details of the residence as follows:

S. No.	Name of the Country	Length of residence From…… to …….	Page Nos. of passport bearing departure and arrival stamps
1.			
2.			
3.			

5. State whether the Passport had any objection by the PIA and if so the details thereof.

6. State whether you were deported at any time at the expenses of the Government and if so was the expenditure incurred reimbursed to Government of India.

I further affirm that I will take utmost care of my passport if issued and the Government will be at liberty to take any legal action under the Passports Act, 1967, if the lapse is repeated.

Date: ……..

(Signature of applicant)

Annexure-'G'

MINISTRY/DEPARTMENT/OFFICE OF

Applicant's Photo

No…….. dated…….

(No Objection Certificate issuing officer should attest the photograph of the applicant with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.)

NO-OBJECTION CERTIFICATE

Shri/Smt/Miss……s/o……,who is an Indian national, is employed in this office as…….from…….....till date. This Ministry/Department/Office has no objection to his/ her obtaining a passport.

(Signature of Controlling/Administrative authority)

Telephone/Fax/email……

Note:-

(a) The officer authorized to issue NOC should sign with name and stamp and must provide contact details for verification by Passport Authority.

(b) NOC will be valid for six months from date of issue.

Annexure-'H'

PRIOR INTIMATION (PI) LETTER FROM THE GOVERNMENT/PSU/STATUTORY BODY EMPLOYEE TO HIS/HER ADMINISTRATIVE OFFICE FOR SUBMISSION OF PASSPORT APPLICATION FOR HIMSELF/HERSELF (ON PLAIN PAPER)

Place: …….....

Date: …….....

[To be addressed to the Controlling/Administrative Authority with full postal address]

.....

.....

.....PIN:

Tel: …….....

Fax:

Email:

Subject: Prior Intimation for Submission of Passport Application.

Sir/Madam,

I hereby give prior intimation that I am applying for an ordinary Passport to Regional Passport Office, …….....

2. This is for your kind information and record.

Yours faithfully,

Signature: ……..

Name: ……

Date of Birth: ……

Designation: ……..

Name of Office Where Working: …..…….

……..

Name of Organisation: ……

……..

Address of Present Office: ……..

……..

……..

Residential Address: ……...…….....

……..

……..

IndiaCode

Annexure-'I'

DECLARATION BY APPLICANT GENETIC PARENT(S) FOR ISSUE OF PASSPORT TO THE CHILD BORN THROUGH SURROGACY

(On Plain Paper)

I/we……..(name of the genetic parent(s) applying for passport of minor child) solemnly declare and affirm the following:

1. That I/We am/are the genetic mother/father/parents of …… ……..(name of the minor child) who was born through surrogacy, and who is a minor and on whose behalf I/We have made an application for his/her passport.

2. That I/we only am/are taking care of ……. (name of the minor child) and he/she is exclusively in my/our physical custody since his/her birth.

3. I/We also affirm that in the case of any complaint or any litigation (civil/criminal) arising due to issue of a passport to ……..(name of the minor child) born through surrogacy, I/We shall be solely responsible for defending the case and not the Passport Issuing Authority.

Date:

Place:

Signature & Address of the Parent (s)/

Guardian(s) applying for the Passport

IndiaCode

[F. No. VI/401/1/17/2015]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) &
Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note- The Passports Rules, 1980 were published vide Notification Number G.S.R. 691(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 11th December, 1980 and last amended vide Notification Number G.S.R. 723(E), dated 22nd July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.26 15:59:24 +05'30'